

2022/125-

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

ज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना




पार्थी:- नेमीचन्द पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ।

बनाम्

प्रार्थीगण:- देवाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह ।

केसम मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act.

संख्या. 51 सन्-.....2022..

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
22.02.2022	<p>पार्थी नेमीचन्द पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थी देवाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद पाबुपुरा के खसरा सं० 1446, 1447, 1798/1447, 1799/1447, 1441, 1442, 1443, 1796/1447, 1797/1443 में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.04.2022 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	
	<p>29/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी डफन अप्रार्थीगण के सम्मन तामील अदम तामील प्राप्त नहीं हुए हैं इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/6/22 को पेश है।</p> <p> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	

14/5/22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लीड अदालत के
पेश हुई। इसी उत्रवार को पत्र का
जारी होने का खारिज हो चुका है।
पत्र खारिज होने से इस प्रकृत पत्र
का कोई मौखिक तरीका यह नाम से
रुतः प्रकृत पत्र खारिज किया जा
है। पत्रावली के नाम सुकर होकर
गायिका फकर है।

सहायक कलेक्टर
बीडवाना (नानौर)